


104
03/3/25

28³/₂₅ पत्रावली पेश हुई। अभिभाषकगण द्वारा
समापिक कार्य स्थगित रखने से पत्रावली
दि. 9/5/25 को पेश हो।



28/3/25

9⁵/₂₅ पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक वकील अनुपास्थित।
वकील भी अनुपास्थित। तीन बार रुक-रुक
कर आवाज लगाई गई, लेकिन कोई भी
उपास्थित नहीं हुआ, अतः प्रकरण को अन्तर्गत
आदेश 09 R नियम 8 CPC अदालत हाजरी
अदालत पेशी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली फौजल शुमार होकर नम्बर से रुक
होकर बाद ताकिल नकल डाकिल 1 पत्रावली





उपस्थित अधिकारी
पिड़ावा, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय, जिला न्यायालय